



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-658

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 190673 दिनांक 04/10/2024 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	KAMAL SINGH MEENA S/o RAM HARI MEENA	श्री हरमेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरुबच्चन सिंह	6	168.78 SQ. YARD	Private	ROYAL ENCLAVE Sector/Block-B	Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी योजना रॉयल एनक्लेव बी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 168.78 वर्ग गज की लीजडीड दिनांक 13.05.13 को श्री हरमेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरुबच्चन सिंह के नाम से जारी की गई थी। श्री हरमेन्द्र सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.01.2023 को नीतू खण्डेलवाल पुत्री श्री राधा गोविन्द खण्डेलवाल को किया गया। नीतू खण्डेलवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2023 को श्री कमल सिंह मीना पुत्र श्री राम सिंह मीना को किया गया।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. KAMAL SINGH MEENA S/o RAM HARI MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |